

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष
स्थान का नाम शाहपुरा बैंच संख्या -02

(विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987(केन्द्रीय अधिनियम)की धारा 19 के अधीन)
(तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा द्वारा आयोजित)

याची/वादी/परिवादी ① देवी पुत्र खोगा भाली निवासी हाल इरविया राया
② रागपाल पुत्र खोगा भाली हाल निवासी इरविया राया
③ रागट पुत्री खोगा पत्नी ज्योतीया भाली निवासी इरविया राया
हाल पुष्पाक लखदराम तहसील भाण्डलगाह

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ① खोगा पुत्र नावयण भाली निवासी इरविया राया
② शैल पुत्र खोगा भाली निवासी इरविया राया
③ लखद पत्नी खोगा भाली निवासी इरविया राया ④ तहसीलदार शाहपुरा

प्रकरण संख्या वाड पत्र 148/13

उपरिस्थिति :-
न्यायिक अधिकारी का नाम : 1. श्री राजेश कुमार मोणा (ए.सी.जे.एम. शाहपुरा)
सदस्य का नाम : 2. श्री नारायण लाल जीनगर (तहसीलदार शाहपुरा)

अधिनिर्णय दिनांक - 12/3/22

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए है और पक्षकारों के मामले /विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

~~वादीगण एवं उनके कर्त्तव्यता हाल उपस्थित होकर जाहिर किया कि हम फौजदारी के अन्तर्गत राजीनामा होजाते है प्रकरण को विद्रो कक्षा जाते है इन वाड पत्र विद्रो करने की वकील प्रस्तावनी जाती है~~

(Three large diagonal lines indicating a voided or crossed-out section)

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय शुल्क यदि कोई उनमें से किसी द्वारा सदत की गई है तो यह वापस की जाएगी।

1. ~~उक्त बातें~~
2. ~~रामपाल पुत्र खोगा विद्रो करवा है~~
3. ~~पुष्पाक लखदराम तहसील भाण्डलगाह~~

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच - द्वितीय
(तालुका विधिक सेवा समिति)
शाहपुरा (भीलवाडा) राज

अप्रार्थी पक्ष
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच - द्वितीय
तालुका विधिक सेवा समिति
शाहपुरा (भीलवाडा) राज